संख्याः /XVII–2/2014–05(ओ0बी0सी0)/2012 टी.सी.4

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 07 मार्च, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 8000–राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4583/स0क0/शिक्षा/पिछड़ी जाति दश0छा0/2013–14 दिनांक 19 फरवरी, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत बजट प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण भारत सरकार के मानकानुसार हाईस्कूल से उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छः माह की छात्रवृत्ति का एक मुश्त भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वितरण कैम्प लगाकर सुनिश्चित किये जाने हेतु **रु0 1824.22 लाख (रुपये अठ्ठारह करोड़ चौबीस लाख बाईस हजार मात्र)** की धनराशि "राज्य आकस्मिकता निधि" से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

I. अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उक्त धनराशि की स्वीकृति अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रदान की जा रही है।
II. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों मे नहीं किया जायेगा।
III. आवंटित सीमा तक ही व्यय समिति रखा जायेगा।
IV. उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति आगामी प्रथम अनुपूरक मांग से करा ली जायेगी।
V. उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण कर चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।
VI. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, मितव्ययिता के विशय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
VII. मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
VIII. स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

ix. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।

x. अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु धनराशि आवंटित विषयक शासनादेश संख्या–928/XVII–02/2013–05(ओ0बी0सी0)/2012–T.C.III दिनांक 06 अगस्त, 2013 एवं शासनादेश संख्या–1740/XVII–02/2013–05(ओ0बी0सी0)/2015 दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के माध्यम से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण निम्न प्रतिबन्ध के साथ प्राविधानित किया गया है:–

"सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम एक लाख रूपये है, के आधार पर आरोही क्रम में सूची तैयार करने के पश्चात पहले निर्धनतम छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित की जाये:–

(क) सर्वप्रथम उपलब्ध धनराशि से केन्द्र/राजकीय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक कोर्स हेतु (इन्टरमीडिएट, स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रम यथा बी0ए0,बी0कॉम, बी0एस0सी0,एम0ए0, एम0 कॉम, एम0एस0सी0 आदि) के छात्र/छात्राओं, तत्पश्चात केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वात्तशासीय शिक्षण संस्थानों में व्यवासायिक/तकीनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में काउंसलिंग के माध्यम से कॉमन टेस्ट के आधार पर सरकारी फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) तक के अनुसार छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात छात्रवृत्ति की धनराषि अवशेष रहती है, तो उसके पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पात्र छात्र/छात्रा प्रदेश के बाहर अध्ययनरत है, उन छात्र/छात्राओं को पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की जाये।"

उपरोक्त प्रतिबन्ध के साथ पूर्व में आवंटित धनराशि से छात्रवृत्ति वितरण के पश्चात छात्रवृत्ति से वंचित रहे छात्रों को एक मुश्त छः माह की छात्रवृत्ति का भुगतान वर्तमान में आवंटित धनराशि से किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रथमतः "8000–आकस्मिकता निधि राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि" का विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 03–पिछड़े वर्ग का कल्याण 277–शिक्षा 01–केन्द्रीय आयेजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं 0103–अन्य पिछड़ी जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति 100% के0स0 के मानक मद 21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन के नामे डाले जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग अशा0प0 संख्या–28/XXVII(1)/रा0आ0नि0 दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में एवं आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–S1403990079 दिनांक 07 मार्च, 2014 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–28/XXVII(1)/रा0आ0नि0/2014 दिनांक-4-3-2014

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।

पृष्ठांकन संख्याः-398/XVII–2/2014–05(ओ0बी0सी0)/2012 टी.सी. 4तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
7. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या - 318 /XVII-2/2014-05(OBC)/2012 T.c. 4

अनुदान संख्या - PAC

अलोटमेंट आई डी - S140

आवंटन पत्र दिनांक - 07-Mar-201

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

ा शीर्षक	2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे	03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
सभे	277 - शिक्षा	
ायोजन होना	03 - अन्य पिछडी जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को	01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ (अनुदान संख्या - 015)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0	182422000	182422000
	0	**182422000**	**182422000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 182422000